अप्रार्थी सं. 1लगा 3 की विधिवत तामील हो चुकी है। तामील के उपरान्त 90 दिवस से अधिक अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी इनके द्वारा जवाब प्रा. पत्र पेश प्रस्तुत नही किया गया है अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर जाकर इनके जवाब अवसर बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा. पत्र पेश दिनांक 20.12.24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

20.12.24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा. पत्र पेश दिनांक 24.1.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

24.1.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा. पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रा. पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अभिभाषक की बहस का मनन किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 42 रा. काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैफल शुमार होकर मूलवाद के साथ नत्थी हो।

अप्रार्थी सं. 1लगा 3 की विधिवत तामील हो चुकी है। तामील के उपरान्त 90 दिवस से अधिक अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी इनके द्वारा जवाब प्रा.पत्र पेश प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर इनके जवाब अवसर बंद किया जाता है पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र पेश दिनांक 20.12.24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

20.12.24 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र पेश दिनांक 24.1.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

24.1.25 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा.पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रा.पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अभिभाषक की बहस का मनन किया। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 42 रा. काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैफियत शुमार होकर मलवाद के साथ दाखिल हो।

मुकदमा संख्या 01/23 | तारीख रजू 06.01.23 | तारीख निर्णय 24.01.25

बउनवान

1. बंशी पुत्र गैंदा निवासी रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा।
2. पूरण पुत्र मूल्या निवासी रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. रघुवीर पुत्र रामजीलाल निवासी रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा।
3. उपपंजीयक मण्डावर जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री खेमसिंह गुर्जर।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से, जरिये अभिभाषक श्री खेमसिंह गुर्जर, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि खाता सं. 72 के खसरा सं. 317 रकबा 0.33 हैक्टे., 318 रकबा 1.16 हैक्टे., 319 रकबा 0.56 हैक्टे. कुल किता 3 कुल रकबा 2.10 हैक्टे. वाके ग्राम पालौदा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 वादपत्र के प्रतिवादी सं. 2 लगायत 7 की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिसका अभी तक कानूनी तकास्मा नहीं हुआ है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 एक ही परिवार के सदस्य हैं जो बाहमी बटवारे अनुसार वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी सं. 1 का 1/3, प्रार्थी सं. 2 का 1/3, अप्रार्थी सं. 1 एवं वादपत्र के प्रतिवादी सं. 2 लगायत का 7 का 1/24, 1/24 हिस्सा खातेदार में दर्ज रिकॉर्ड है। वादग्रस्त आराजी को बाहमी बंटवारे के अनुसार मौके पर बांट रखा है जिसमें मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 के पास जमीन कम ज्यादा है जिस कारण आये दिन पक्षकारों में कम ज्यादा को लेकर आपस में विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनको अप्रार्थी सं. 1 आये दिन परेशान करते रहते है तथा दीगर व्यक्तियों को बेचान की धमकी देते रहते है। ऐसे में वादग्रस्त आराजी को कब्जे अनुसार व सरस नरस कर वादग्रस्त भूमि का अलग खाता कायम किया जाकर पास बुकें जारी की जावे। दिनांक 27.12.22 को प्रार्थीगण अपने खेतों पर फसल की देखभाल करने गये तो अप्रार्थी सं. 1 अन्य दीगर व्यक्तियों को लेकर अपने खेतों की नापतोल करवा रहा था तो हमने अप्रार्थी सं. 1 से पूछा कि ये नापतोल क्यों कर रहे तो अप्रार्थी सं. 1 ने कहा कि मैं मेरे

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

हिस्से व कब्जे की भूमि का बेचान कर रहा हूँ तो प्रार्थीगण ने कहा कि आपके पास अपने हिस्से की भूमि से ज्यादा भूमि है और अभी तक इस भूमि का तकास्मा भी नहीं हुआ है, पहले तहसील में चलकर इस भूमि का अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी हिस्से अनुसार विधिवत तकास्मा करवा लेते है। इस बात को लेकर पहले भी कई बार अप्रार्थी सं. 1 एवं अन्य सहखातेदारों को भूमि का बंटवारा करने के लिये कहा था परन्तु उन्होंने मना कर दिया और रघुवीर ने कहा कि मेरे पास ज्यादा भूमि है, इस वजह से तुम बंटवारे की कहते हो, मैं इसमें से एक इंच भी भूमि नहीं दूंगा और बिना तकास्मा कराये ही मैं गांव के पैसे व लट्ठ वाले लोगों को इस जमीन को बेचूंगा तथा कानूनी तकास्मा से साफ इन्कार कर दिया। यदि अप्रार्थी सं. 1 अपनी उक्त नापाक धमकियों में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि ताफैसला दावा अप्रार्थी सं. 1 को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वाके ग्राम पालौदा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 317, 318, 319 रकबा 0.56 हैक्टे. है में अप्रार्थी सं. 1 किसी भी प्रकार की रूकावट, मदाखलत, मजाहमत ना तो स्वयं करें और नाही किसी दीगर व्यक्तियों से ही करावे तथा दीगर व्यक्तियों को रहन, बय, मुन्तकिल नही करें। मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया तथा अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस तामील होने के बाबजूद अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जबाव का अवसर बन्द कर दिया गया। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी पक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

हिस्से व कब्जे की भूमि का बेचान कर रहा हूँ तो प्रार्थीगण ने कहा कि आपके पास अपने हिस्से की भूमि से ज्यादा भूमि है और अभी तक इस भूमि का तकास्मा भी नहीं हुआ है, पहले तहसील में चलकर इस भूमि का अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी हिस्से अनुसार विधिवत तकास्मा करवा लेते है। इस बात को लेकर पहले भी कई बार अप्रार्थी सं. 1 एवं अन्य सहखातेदारों को भूमि का बंटवारा करने के लिये कहा था परन्तु उन्होंने मना कर दिया और रघुवीर ने कहा कि मेरे पास ज्यादा भूमि है, इस वजह से तुम बंटवारे की कहते हो, मैं इसमें से एक इंच भी भूमि नहीं दूंगा और बिना तकास्मा कराये ही मैं गांव के पैसे व लट्ठ वाले लोगों को इस जमीन को बेचूंगा तथा कानूनी तकास्मा से साफ इन्कार कर दिया। यदि अप्रार्थी सं. 1 अपनी उक्त नापाक धमकियों में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि ताफैसला दावा अप्रार्थी सं. 1 को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वाके ग्राम पालौदा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 317, 318, 319 रकबा 0.56 हैक्टे. है में अप्रार्थी सं. 1 किसी भी प्रकार की रूकावट, मदाखलत, मजाहमत ना तो स्वयं करें और नाही किसी दीगर व्यक्तियों से ही करावे तथा दीगर व्यक्तियों को रहन, बय, मुन्तकिल नही करें। मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया तथा अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस तामील होने के बाबजूद अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जबाव का अवसर बन्द कर दिया गया। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी पक्ष की बहस पर मनन किया।

अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

उपखण्ड अधिकारी

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के विन्दुओं को तय किया जाना है। जमावन्दी सम्वत 2073 से 2076 के अनुसार, ग्राम पालौदा तहसील मण्डावर में स्थित वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजीयात है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र खाता विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के 2/3 हिस्से के खातेदार हैं, इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। वाद लम्बित रहने की प्रक्रिया के दौरान, अविभाजित वादग्रस्त आराजीयात में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा बिना विभाजन हुए भूमि के किसी हिस्से का बेचान किया जाता है तो इससे वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद बढ़ना संभावित है। इस कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। वादग्रस्त आराजीयात में अप्रार्थीगण के द्वारा बिना विभाजन हुए भूमि के किसी हिस्से का बेचान किया जाता है तो क्रेता के किसी विशिष्ट हिस्से पर काबिज होना संभावित हैं। यदि क्रेता बिना विभाजन अच्छी भूमि पर काबिज हो जाते हैं और मौके की स्थिति में बदलाव हो जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक वादग्रस्त आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर स्थिति में बदलाव से सम्भावित विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम पालौदा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित वादग्रस्त आराजीयात खसरा सं. 317 रकबा 0.33 हैक्टे., 318 रकबा 1.16 हैक्टे., 319 रकबा 0.56 हैक्टे. कुल रकबा 2.10 हैक्टे. के सम्बन्ध में, अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, वादग्रस्त आराजीयात में किसी भी प्रकार की रूकावट, मदाखलत, मजाहमत ना तो स्वयं करें और नाही किसी दीगर व्यक्तियों से ही करावें तथा दीगर व्यक्तियों को रहन, बय, मुन्तकिल नही करें। मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 24.01.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)